दिनांक 06.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **09 लाख 11 हजार 570 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 06.05.2025 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 09 लाख 11 हजार 570 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03/04.05.2025 की रात्रि थाना क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शिवम निवासी बरखेरवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1–09 लाख 11 हजार 570 रूपये नगद।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के सफेद धातु के टुकड़े 01 किलो 22 ग्राम, पीली धातु के टुकड़े 20 ग्राम 13 मि0ग्रा0**
- **41 हजार 800 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 पिस्टल, जीवित कारतूस मय मैगजीन बरामद**

दिनांक 05.05.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–किशन 2–संदीप 3–राज को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के सफेद धातु के टुकड़े 01 किलो 22 ग्राम, पीली धातु के टुकड़े 20 ग्राम 13 मि0ग्रा0, 41 हजार 800 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 पिस्टल, जीवित कारतूस मय मैगजीन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पीली–सफेद धातु के टुकड़े आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–किशन निवासी काशीराम आवास पुरवा थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

2–संदीप निवासी सीसी रोड़ थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

3–राज निवासी सीसी रोड़ थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–चोरी के सफेद धातु के टुकड़े 01 किलो 22 ग्राम, पीली धातु के टुकड़े 20 ग्राम 13 मि0ग्रा0

2–41 हजार 800 रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–01 पिस्टल, जीवित कारतूस मय मैगजीन।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 88 ग्राम चॉदी**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **2190/–रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.05.2025 को थाना देवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेंदुआ पल्हरी मोड़ के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 1–तिलक उर्फ टीलू पहाड़ी घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मो0 साजिद 3–मो0 खुर्शीद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 88 ग्राम चॉदी, चोरी की 05 मोटर साइकिल, 2190/–रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की

गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चॉदी, मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त तिलक थापा उर्फ टीलू पहाड़ी के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त मो0 साजिद के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–तिलक उर्फ टीलू पहाड़ी निवासी पुरवा खरीफाट थाना टीकापुर जनपद दुर्गोली, नेपाल हालपता–त्रिवेणी नगर थाना अलीगंज, लखनऊ।

2–मो0 साजिद निवासी ग्राम मीरपुर, सुढियामऊ थाना रामनगर जनपद बाराबंकी हालपता–नई बस्ती उत्तर टोला बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

3–मो0 खुर्शीद निवासी पहौसरा थाना रानीगंज जनपद अररिया, बिहार हालपता–ग्राम माती थाना देवा जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 88 ग्राम चॉदी।

2–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

3–2190/–रूपये।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद हरदोई/ थाना शाहाबाद</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **43 हजार रुपये नगद**
- **घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.05.2025 को थाना शाहाबाद की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्त 1– संतोष 2– राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 43 हजार रुपये नगद, घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त संतोष के विरुद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट, आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग, अभियुक्त सचिन के विरुद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है ।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संतोष निवासी ग्राम ओमपुरी कोतवाली देहात जनपद हरदोई ।

2—राहुल निवासी ग्राम ओमपुरी कोतवाली देहात जनपद हरदोई ।

बरामदगी

1—43 हजार रुपये नगद।

2—घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **01 चेचिस**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉक 06.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—उमेश 2—अजीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 01 चेचिस, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उमेश के विरूद्ध जनपद बहराइच, गोण्डा, बाराबंकी के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त अजीम के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद गोण्डा, बाराबंकी के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमेश निवासी ग्राम पिपरी माझा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

2–अजीम निवासी महादेवा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2–01 चेचिस।

3–02 मोबाइल फोन।

जनपद पीलीभीत/थाना अमरिया

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.05.2025 को थाना अमरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुडलिया चेकपोस्ट से 04 अभियुक्तों 1–मनीष कुमार 2–अरविन्द 3–समीर 4–गोविन्दराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना अमरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष कुमार निवासी ग्राम तुर्रा तिसोर थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

2–अरविन्द निवासी ग्राम तुर्रा तिसोर थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर, हाल पता बभनपुरी थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

3–समीर निवासी ग्राम भगौरी थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

4–गोविन्दराम निवासी चिका घाट थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

- **जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश कुमार को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहॉपुर/थाना परौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शहजहॉपुर द्वारा थाना परौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/315 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सहारनपुर/थाना बिहारीगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बिहारगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 ए बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मवीर को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0:–जनपद कन्नौज से रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश कुमार कटियार उर्फ पिन्टू गिरफ्तार।

दिनांकः 06–05–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज में पंजीकृत मु0अ0सं0 536/2022 धारा 376, 506, 120बी भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश कुमार कटियार को जनपद कन्नौज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

आकाश कुमार कटियार उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 ज्ञान सिंह कटियार, निवासी बकोठी खास, थाना अरौल जनपद कानपुर नगर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

ठठिया मानपुर रोड पुल के नीचे थाना क्षेत्र कोतवाली कन्नौज दिनांक 06–05–2025 समय करीब 17:00 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मु0अ0स0 पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी, मु0आ0 अरविन्द सिंह, देवेश द्विवेदी, मोहर सिंह, आरक्षी सत्यम यादव, चालक शिवकुमार की एक टीम जनपद कन्नौज में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना कोतवाली कन्नौज में पंजीकृत मु0अ0सं0 536/2022 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश कटियार उर्फ पिन्टू कन्नौज में किसी से मिलने के लिए आने वाला है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए

एसटीएफ टीम द्वारा ठठिया मानपुर रोड पुल के नीचे थाना क्षेत्र कोतवाली, कन्नौज के पास से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश कुमार कटियार ने पूछताछ पर बताया, कि वर्ष 2022 में उसके व उसके साथी रौनक के विरूद्ध बलात्कार का मुकदमा जनपद कोतवली कन्नौज में दर्ज हुआ था। जिसमें रौनक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये यह दिल्ली, नोएडा, व हरियाणा में छिपकर रह रहा था। वर्ष 2024 से अपने 02 साथी अशफाक और आफाक के साथ मिलकर बिसरख चौराहा नोएडा में चिकन कार्नर चला रहा था। आज अपने रिस्तेदारो से मिलने के लिए कन्नौज आया था।

अभियुक्त आकाश कटियार को थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज में पंजीकृत मु0अ0सं0 536/2022 धारा 376, 506, 120बी भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट में दाखिल किया गया है। उक्त अभियोग में मफरूरी में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————